



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची  
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

## लोक सुनवाई की सूचना


सर्वश्री अरगड्डा खुली खदान परियोजना उत्पादन क्षमता 1.70 एम0टी0पी0ए0 मानकीय एवं 2.20 एम0टी0पी0ए0 अधिकतम, सी0सी0एल0, सिरका, पो0-अरगड्डा, जिला-रामगढ की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 06.04.2015 (दिन सोमवार) का पूर्वाह्न 11:00 बजे, अरगड्डा कम्युनिटि हॉल, पो0-अरगड्डा, जिला-रामगढ में निर्धारित की गयी है ।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह के पूर्व तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी0 ए0 भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, रामगढ, पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पी0टी0सी0 चौक, हजारीबाग में उपलब्ध करा दें ।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी तरह की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना संख्या टी0 एस0 ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना एस0ओ0 3067 (ई0), दिनांक 01.12.2009 के अनुरूप होगा ।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभावी मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा सारांश की एक-एक हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यपालक सार (प्रोजेक्ट सारांश) भी निम्न कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, रामगढ
2. जिला उद्योग केन्द्र, रामगढ
3. जिला पर्षद/नगर निगम -रामगढ
4. झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुख्यालय, टी0 ए0 बिल्डींग, एच0 ई0 सी0 धुर्वा, राँची/क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पी0टी0सी0 चौक, मटवारी रोड, हजारीबाग
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय ए-3, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023
6. संबंधित पंचायत ।
7. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय ।

  
22/2/15  
प्रभारी सदस्य सचिव